भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 174

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) में खामियां

***174. श्री उज्जवल रमण सिंहः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश में सबके लिए आवास पहल के उद्देश्य और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके अंतर्गत किए गए आबंटन में बिचौलियों के शामिल होने की खबरें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन में आई त्रुटियों को कब तक दूर किए जाने और सभी के लिए आवास के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी(पीएमएवाई-यू) में खामियां के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 174* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। वित्तपोषण और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, इस मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 1.12 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी है, 14.07.2025 तक, देश भर में इन आवासों में से 93.61 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। 14.07.2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के शुरू होने से अब तक कुल 17,76,823 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17,02,317 (96%) आवास पूरे किये जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना का सफल कार्यान्वयन 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के साथ लाभार्थियों को सुरक्षा और स्वामित्व के गौरव के साथ एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुरू किया है ताकि अगले पांच वर्षों में उनके द्वारा किफायती लागत पर घर बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटक अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत हाल ही में कुल 7.09 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1.98 लाख आवास शामिल हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अनुमोदन हेतु लाभार्थी सूची की कई स्तरों पर जाँच की जाती है। पीएमएवाई-यू प्रस्तावों को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसके बाद केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा आगे केंद्रीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी आवासों/परियोजनाओं के निर्माण के विभिन्न चरणों की प्रगति की निगरानी जियो-टैगिंग के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (टीपीक्यूएम) अनिवार्य है ताकि मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और समय-समय पर परियोजना स्थल का दौरा करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर परामर्श दिया जा सके। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सोशल ऑडिट कराई जाती है ताकि निर्माण, आवंटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी या रहने योग्य स्थिति आदि से संबंधित मुद्दों की पहचान करके उनका समाधान किया जा सके। इससे बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है और योजना में जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित होती है।

पीएमएवाई-यू योजना को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आवासों के आवंटन में बिचौलियों सहित पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत, यदि कोई हो, तो उनका मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहर दोनों स्तरों पर उपलब्ध उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से हल किया जाता है और मौजूदा कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी उपलब्ध है ताकि वे पीएमएवाई-यू सहित सेवा प्रदायगी से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इस योजना के कार्यान्वयन के किसी भी पहलू, लाभार्थियों के चयन सहित किसी भी अनियमितता या बिचौलियों की भागीदारी के बारे में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है।

*****